

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई 2020 — श्रावण 7, शक 1942

श्रम विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 जुलाई 2020

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-7/2012/16.— छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ 11-7/2012/16, दिनांक 14 सितम्बर, 2012 जो दिनांक 01 अक्टूबर 2012 को प्रकाशित हुई थी, को निरस्त करती है तथा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के समस्त उपबंध, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले उद्योगों के उपक्रमों, जिसमें तत्पश्चात् किसी भी दिवस पर कर्मचारियों की संख्या एक सौ से अधिक थी अथवा है, के संबंध में प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सोनमणि बोरा, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 15 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 11-7/2012/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-7/2012/16, दिनांक 15-07-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सोनमणि बोरा, सचिव.

Atal Nagar, the 15th July 2020

## NOTIFICATION

No. F11-7/2012/16.— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, rescinds the Notification No. F 11-7/2012/16, dated 14th September, 2012, which was published on 1st October, 2012 and

directs that all the provisions of the said Act shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect to the industrial undertakings covered under the said Act, wherein the number of employee on any day thereafter was or is more than one hundred.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
SONMONI BORAH, Secretary.